GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
TRANSPORT DEPARTMENT, CO-ORDINATION BRANCH
5/9, UNDER HILL ROAD, DELHI – 110054

F.19(53)/Sectt./TPT/2025/ 64 Date: 27.03.2025

To,

Deputy Secretary (Question Cell),
Delhi Legislative Assembly,
Government of NCT of Delhi,
Old Secretariat, Delhi-110054.

Sub: List of Questions for the meeting of the House on 28/03/2025, Unstarred question no. 237 raised by Sh. Sahi Ram.

Sir,

With reference to the letter dated 18/03/2025 received from Deputy Secretary (Question Cell), Delhi Legislative Assembly, Government of NCT of Delhi through vide letter dated 19/03/2025, received in this Office dated 20/03/2025 at 5:00 PM on the subject cited above. I am directed to forward the reply/information of Transport Department, Govt. of NCT of Delhi which is enclosed.

This issues with the prior approval of the Minister of Transport.

Encl: as above

Vashundra

Spl. Commissioner (Cordn.)

F.19(53)/Sectt./TPT/2025/64 Date: 27.03.2025

Copy for information to:

1. PS to ACS-cum-Commissioner (Transport)
2. PS to Spl. Commissioner (Transport)

Vashundra

Spl. Commissioner (Cordn.)

विभाग का नाम— परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार

प्रश्न संख्या–237

सदस्य का नाम— श्री सहीराम

क्या माननीय परिवहन मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क0 सं0	प्रश्न	उत्तर
क.	दिल्ली में क्लस्टर बसों को चलाने के लिए कितने ड्राईवर नियुक्त है,	क्लस्टर बसों के लिए ऑपरेटर द्वारा 8236 ड्राइवर नियुक्त किए गए हैं
ख.	31 मार्च 2025 के बाद दिल्ली में कितनी क्लस्टर बसों का परिचालन बंद हो जायेगा,	31 मार्च 2025 को कोई भी क्लस्टर बस संचालन बंद नहीं होगा हालाँकि, क्लस्टर 6, 7,8, 9 के अंतर्गत 997 क्लस्टर CNG बसों का अनुबंध अवधि 15 अप्रैल 2025 को पूरा होना है।
ग.	बंद होने वाली क्लस्टर बसों के मौजूदा ड्राइवरों के डिप्लायेंमेंट को लेकर सरकार की क्या योजना है और	997 क्लस्टर बसों के अंतर्गत ये ड्राइवर निजी ऑपरेटरों के कर्मचारी हैं। अनुबंध की शर्तें पूरी होने के बाद, ये ड्राइवर किसी अन्य ऑपरेटर से जुड़ने के लिए स्वतंत्र होंगे
घ.	क्या सरकार की इन क्लस्टर बसों के ड्राइवरों को इलैक्ट्रिक बसों में बतौर ड्राईवर तैनात करने की कोई योजना है?	यह इलेक्ट्रिक बस संचालन जिसके लिए दिल्ली सरकार ने निजी ऑपरेटरों के साथ समझौता किया है, सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) मॉडल पर आधारित है, जहाँ ऑपरेटर परिवहन विभाग को बस संचालन के लिए बस और ड्राइवर प्रदान करेगा।

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (परिवहन विभाग) के अनुमोदन के पश्चात जारी किया गया है।

हस्ताक्षर

Vasundhra

विशेष आयुक्त (परिवहन विभाग)